झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

डब्ल्यू.पी.(एस). संख्या 623/2020

किशोर चंद्र …… याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य, गृह, कारागार और आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार, रांची के सचिव के माध्यम से।
2. योजना-सह-वित्त विभाग के प्रधान सचिव, झारखंड सरकार, रांची।
3. पुलिस महानिदेशक, झारखंड सरकार, रांची।
4. आई.जी. (प्रोविजन), झारखंड पुलिस, झारखंड सरकार, रांची।
5. डी.आई.जी. (कर्मचारी), झारखंड पुलिस, झारखंड सरकार, रांची।
6. लेखा महालेखापरीक्षक (ए एंड ई), झारखंड, रांची।

………. उत्तरदाता

कोरम: माननीय डॉ. न्यायमूर्ति एस.एन. पाठक

याचिकाकर्ता के लिए : श्री राहुल कुमार, अधिवक्ता
उत्तरदाताओं के लिए : श्री रवि केरकेटा, SC-VI

15/ 17.02.2024 पक्षों को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय से यह प्रार्थना की है कि उत्तरदाता-इंस्पेक्टर जनरल द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या 28/2019 और मेमो संख्या 919 दिनांक 01.07.2019 को रद्द किया जाए, जिसमें वित्त विभाग द्वारा उठाए गए आपत्ति के आधार पर याचिकाकर्ता के लिए सेवानिवृत्ति लाभ की गणना के लिए सेवा की निरंतरता के

लाभ को अस्वीकार कर दिया गया है, जबकि समान परिस्थितियों में अन्य व्यक्तियों को यह लाभ उनकी काल्पनिक नियुक्ति तिथि से दिया गया है।

3. इस मामले के तथ्यों का विवरण संक्षिप्त है। विज्ञापन संख्या 11/82 के तहत उप-निरीक्षक और सार्जेंट के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया राज्य बिहार द्वारा प्रारंभ की गई थी। याचिकाकर्ता ने भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया और सफल घोषित हुए, लेकिन इसके बावजूद, उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता के नाम को संबंधित समय में नियुक्ति के लिए विचार में नहीं लिया। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने माननीय पटना उच्च न्यायालय में सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 2698/1986 दायर किया, जिसे 21.10.1986 को स्वीकार करते हुए उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने का निर्देश दिया गया। उत्तरदाताओं ने उक्त आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय में एस.एल.पी.(सी). संख्या 941/1987 में चुनौती दी, जिसे 01.05.1987 को खारिज कर दिया गया और इस प्रकार, 1985 बैच में याचिकाकर्ता की नियुक्ति का मुद्दा समाप्त हो गया।

4. इसके पश्चात, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में, याचिकाकर्ता को 04.05.1987 के पत्र द्वारा सार्जेंट के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई और इसके बाद उन्होंने 11.05.1987 को अपना कार्यभार ग्रहण किया। याचिकाकर्ता का यह कहना है कि 1985 बैच के पांडेय अजय कुमार, जिन्हें 21.02.1990 को सार्जेंट के पद पर नियुक्त किया गया था, ने 1995 से समयबद्ध पदोन्नति का दावा करते हुए माननीय पटना उच्च न्यायालय में सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 2207/2003 में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अपनी काल्पनिक नियुक्ति तिथि 14.10.1985 मानी थी, जैसा कि 1985 के अन्य नियुक्त कर्मचारियों को दिया गया था। हालांकि, उक्त रिट याचिका खारिज कर दी गई थी, और याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी गई थी कि वह अपने सभी शिकायतों को उत्तरदाताओं के समक्ष पुनः प्रस्तुति के माध्यम से उठाए। इसी प्रकार, याचिकाकर्ता से जूनियर एक अन्य व्यक्ति, नित्या नंद पाठक ने भी डब्ल्यू.पी.(एस). संख्या 4691/2007 में इस न्यायालय से वही राहत मांगते हुए याचिका दायर की, जो पांडेय अजय कुमार द्वारा दावा की गई थी, और इस न्यायालय ने 14.11.2008 के आदेश द्वारा उक्त रिट याचिका को स्वीकार किया।

5. इसके बाद, माननीय न्यायालयों के आदेशों के तहत, विभाग ने पांडेय अजय कुमार और नित्या नंद पाठक को 14.10.1985 को उनकी काल्पनिक नियुक्ति तिथि

मानते हुए काल्पनिक लाभ प्रदान किए, जैसा कि मेमो संख्या 588 और 589 में 15.03.2010 को आदेशित किया गया। चूंकि याचिकाकर्ता का दावा, जो दोनों उपरोक्त व्यक्तियों से वरिष्ठ थे, बेहतर स्थिति में था, विभाग ने 11.02.2011 को मेमो संख्या 511 द्वारा याचिकाकर्ता की काल्पनिक नियुक्ति तिथि 14.10.1985 के रूप में तय की। याचिकाकर्ता का कहना है कि चूंकि उत्तरदाताओं ने पहले ही निर्णय लिया था और उनकी वरिष्ठता को 14.10.1985 की काल्पनिक नियुक्ति तिथि से निर्धारित किया था, इसलिए याचिकाकर्ता को काल्पनिक लाभ देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी।

6. याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि 30 वर्षों से अधिक समय तक उत्तरदाताओं के साथ सेवा देने के बाद, याचिकाकर्ता 31.07.2016 को सेवानिवृत्त हो गए थे, लेकिन विभाग के जाने-अनजाने कारणों से, बार-बार अनुरोध और याद दिलाने के बावजूद, उनका सेवानिवृत्ति लाभ जारी नहीं किया गया। इस संदर्भ में, याचिकाकर्ता ने डब्ल्यू.पी.(एस). संख्या 3543/2018 दायर किया, जिसमें उनके सेवानिवृत्ति लाभ जारी करने की प्रार्थना की थी, और इस न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को निस्तारित करते हुए उत्तरदाताओं को सेवानिवृत्ति लाभ सहित कानूनी ब्याज के साथ जारी करने का निर्देश दिया। हालांकि, जब न्यायालय का आदेश अनुपालित नहीं हुआ, तो याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका जारी केस (सी) संख्या 507/2019 दायर किया। अवमानना मामले की प्रक्रिया के दौरान, उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति लाभ की गणना 14.10.1985 की काल्पनिक नियुक्ति तिथि से की और 20.05.2019 को मेमो संख्या 657 द्वारा वित्त विभाग को अनुशंसा भेजी, और इस प्रकार अवमानना मामले का निस्तारण 08.11.2019 को कर दिया गया।

7. यह याचिकाकर्ता का स्पष्ट कहना है कि यद्यपि याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति लाभ जैसे कि ग्रेच्युटी, अवकाश लाभ, भविष्य निधि आदि का भुगतान किया गया है, लेकिन वही लाभ उसकी नियुक्ति की तारीख से उसकी सेवाओं की गणना करके निर्धारित किया गया है, जबकि यह स्वीकृत है कि उसकी नियुक्ति में उत्तरदाताओं की गलती के कारण देरी हुई थी। इसके बाद, उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता की वरिष्ठता को काल्पनिक नियुक्ति तिथि से मान्यता दी है।

जब याचिकाकर्ता को काल्पनिक नियुक्ति तिथि से सेवानिवृत्ति लाभ से वंचित किया गया, तो याचिकाकर्ता को इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए विवश होना पड़ा।

8. श्री राहुल कुमार, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि चूंकि याचिकाकर्ता की वरिष्ठता को 1988 में और फिर 2011 में उनके मेरिट के आधार पर 1985 बैच के नियुक्ति पाने वालों से ऊपर तय किया गया था, याचिकाकर्ता को यह पूरी उम्मीद थी कि उनके सेवानिवृत्ति लाभ की गणना 14.10.1985 से की जाएगी। अधिवक्ता ने आगे कहा कि चूंकि न्यायालय ने पहले ही याचिकाकर्ता से जूनियर व्यक्तियों को काल्पनिक लाभ प्रदान किया है और इसे उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है, इसलिए याचिकाकर्ता को वही लाभ न देना अत्यधिक शक्ति का मनमाना उपयोग है। अधिवक्ता का यह भी कहना है कि वित्त विभाग द्वारा याचिकाकर्ता को अकेले छोड़कर समान परिस्थितियों वाले अन्य कर्मचारियों को लाभ देना मनमाना, अवैध और न्याय की दृष्टि से अनुचित है। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति समय से पहले नहीं हो पाई थी, इसका कोई दोष याचिकाकर्ता का नहीं था और उनकी वरिष्ठता चयन के आधार पर तय की गई थी, ऐसे में याचिकाकर्ता को अपने जूनियर कर्मचारियों के नियुक्ति तिथि से पहले सेवा मानने का अधिकार है। इन तथ्यों और कारणों के कारण, याचिकाकर्ता को उनकी याचिका में अनुरोधित राहत मिलनी चाहिए।

9. इसके विपरीत, उत्तरदाताओं द्वारा काउंटर-हलफनामा दायर किया गया है। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने प्रस्तुत करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वित्त विभाग ने याचिकाकर्ता के वेतन की पुनःगणना को काल्पनिक नियुक्ति तिथि अर्थात 14.10.1985 से करने पर आपत्ति उठाई है और इसमें यह देखा गया है कि सेवानिवृत्ति लाभों को वास्तविक नियुक्ति तिथि अर्थात 11.05.1987 से देखा जाए। अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को समयबद्ध पदोन्नति और एसीपी/एमएसीपी योजना के लाभ काल्पनिक नियुक्ति तिथि से ही मिलते हैं और इसलिए, वित्त विभाग की अनुशंसा के अनुसार याचिकाकर्ता का वेतन संशोधन वास्तविक नियुक्ति तिथि 11.05.1987 से किया जा रहा है। अधिवक्ता ने आगे कहा कि काल्पनिक नियुक्ति तिथि से वेतन पुनरीक्षण देना सेवा कानून और वित्तीय नियमों के खिलाफ है और इसलिए यह स्वीकार्य नहीं है। अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता की याचिका वर्तमान नियमों के खिलाफ है और इसलिए इसे माननीय न्यायालय की न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता का यह तर्क कि याचिकाकर्ता को अपने जूनियर से कम वेतन नहीं मिल सकता, क्योंकि वे एक ही विज्ञापन से नियुक्त हुए थे, यह निराधार और अप्राकृतिक है क्योंकि वरिष्ठता मेरिट सूची के आधार पर तैयार की जाती है जबकि

वेतन नियुक्ति तिथि से निर्धारित होता है। यदि कोई सार्वजनिक सेवक जो मेरिट सूची में वरिष्ठ है, बाद में जुड़ता है और इस दौरान कोई जूनियर कर्मचारी जुड़ता है, तो वह निश्चित रूप से वेतन वृद्धि प्राप्त करेगा और उसका वेतन वरिष्ठ कर्मचारी से अधिक हो जाएगा।

10. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया जाना चाहिए। निःसंदेह, याचिकाकर्ता का नाम पुलिस विभाग में सार्जेंट के पद के लिए नियुक्ति के लिए बोर्ड द्वारा अनुशंसित नहीं किया गया था, जबकि उन उम्मीदवारों के नाम अनुशंसित किए गए थे जिन्होंने याचिकाकर्ता से कम अंक प्राप्त किए थे। हालांकि, जब इस विसंगति को उजागर किया गया, तो याचिकाकर्ता का नाम 1986 में अनुशंसित किया गया, लेकिन नियुक्ति याचिकाकर्ता को एक लंबी अवधि तक नहीं दी गई। हालांकि, याचिकाकर्ता को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार नियुक्ति दी गई। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता ने संबंधित उत्तरदाताओं से समयबद्ध पदोन्नति, वरिष्ठता और अन्य लाभों की मांग की, यह कहते हुए कि उनके जूनियर कर्मचारियों को ये लाभ दिए गए हैं, जिसे केवल इस कारण से याचिकाकर्ता से नहीं छीना जा सकता कि वे समय पर नियुक्त नहीं हो सके, और दूसरा यह कि समान स्थिति में होने पर अन्य कर्मचारियों को ये लाभ दिए गए थे। हालांकि, उनका मामला यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि उन्होंने 11.05.1987 को सेवा जॉइन की थी और इसलिए उन्होंने 1995 में 10 वर्षों की सेवा पूरी नहीं की थी, जबकि सरकार के शासनादेश के अनुसार, एक कर्मचारी को 10 वर्षों की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद समयबद्ध पदोन्नति का हक था।

11. याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार करने वाला आदेश मामले की परिस्थितियों में उचित नहीं लगता क्योंकि यह उत्तरदाता थे जिन्होंने याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने में विलंब किया। यह उत्तरदाता थे जिनकी लापरवाही के कारण याचिकाकर्ता से जूनियर कर्मचारियों को समय पर नियुक्ति मिली, लेकिन याचिकाकर्ता की नियुक्ति में देरी हुई।

12. इन परिस्थितियों में, यह स्पष्ट है कि कार्यालय आदेश संख्या 28/2019 जो मेमो संख्या 919 में 01.07.2019 को जारी किया गया था, वित्त विभाग द्वारा उठाई गई आपत्ति के कारण याचिकाकर्ता की काल्पनिक नियुक्ति तिथि से सेवानिवृत्ति लाभों की

गणना से इंकार करने वाला आदेश अवैध है और यह कानून की दृष्टि से ठीक नहीं है।

13. समान मुद्दा इस न्यायालय में **डब्ल्यू.पी.(एस). संख्या 4691 of 2007 (नित्या नंद पाठक बनाम राज्य झारखंड एवं अन्य)** में विचाराधीन था और इस न्यायालय ने **14.11.2008** को दिए गए अपने निर्णय में याचिका को मंजूरी दी, निर्देश दिया कि उत्तरदाता समयबद्ध पदोन्नति, वरिष्ठता और अन्य लाभों के संबंध में आवश्यक आदेश पारित करें। इसके बाद, उत्तरदाताओं ने न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में मेमो संख्या 511/पी. में 11.02.2011 को समान स्थिति में व्यक्तियों पांडेय अजय कुमार और नित्या नंद पाठक को ये लाभ प्रदान किए।

14. उपरोक्त टिप्पणियों, नियमों, दिशानिर्देशों और कानूनी सिद्धांतों के परिणामस्वरूप, विवादास्पद कार्यालय आदेश संख्या 28/2019 जो मेमो संख्या 919 में 01.07.2019 को जारी किया गया था, को इस न्यायालय द्वारा निरस्त और रद्द किया जाता है। उत्तरदाता-इंस्पेक्टर जनरल को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति लाभों की पुनः गणना के लिए कदम उठाएं और याचिकाकर्ता की काल्पनिक नियुक्ति तिथि को ध्यान में रखते हुए लाभों की गणना करें। यह समस्त प्रक्रिया आदेश की प्राप्ति/प्रस्तुति के आठ सप्ताह के भीतर पूरी की जाए।

15. परिणामस्वरूप, यह रिट याचिका मंजूर की जाती है।

(डॉ. एस.एन. पाठक, न्यायमूर्ति)

कुणाल/-

***यह अनुवाद मो. नसीम अख्तर पैनल अनुवादक (झारखंड उच्च न्यायालय, रांची) द्वारा किया गया।**